दिनांक 08.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 13/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर वन्य जीवों की तस्करी करने वाले गिरोह के 04 तस्कर 245 अदद प्रतिबन्धित तोते व 12 अदद मोर (राष्ट्रीय पक्षी) के सहित गिरफ्तार।

दिनांक 07–11–2025 को एसटीएफ उ0प्र0 को संरक्षित/प्रतिबन्धित राष्ट्रीय पक्षी (तोता एवं मोर) की तस्करी करने वाले गैंग के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 04 तस्करों को 245 अदद प्रतिबन्धित तोते व 12 अदद मोर (राष्ट्रीय पक्षी) के साथ जनपद वाराणसी से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1– मो0 वशीम उर्फ अरमान पुत्र मो0 शमीम उर्फ नामू निवासी आसनसोल, रेल पार्क ओके रोड थाना नार्थ जनपद वर्धमान पष्चिम बंगाल।

2– मो0 आयूब पुत्र स्व0 मो0 हमीद निवासी मोहल्ला दुबराज हैरोडांगा, थाना वर्धमान, जिला वर्धमान पश्चिम बंगाल।

3– नितेश दिवाकर पुत्र श्री वीर सिंह निवासी कसेन्दा थाना पिपरी जनपद कौशाम्बी।

4– अमन कुमार पुत्र संजय कुमार निवासी गोविन्दपुर तेवारा थाना पूरामुफ्ती जनपद प्रयागराज।

बरामदगी–

1– 12 अदद मोर INDIAN PEAFOWL (PAVO CRISTATUS)

2– 245 अदद तोते, ROSE RING PARAKIT (PISTTACULA KRAMERI)

3– 03 अदद मोबाइल फोन।

4– 01 अदद इनोवा वाहन संख्या UP70FR0489

5– 03 अदद छोटे/बडे पिजडे व 05 अदद प्लास्टिक के झोले।

6– नकद रू0 3,900/–

<u>गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–</u>

राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित रोड रखौना चौराहा थाना क्षेत्र राजा तालाब जनपद वाराणसी। दिनांक 07–11–2025 समय रात्रि लगभग 09.55 बजे।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से संरक्षित वन्य जीवों की अवैध तस्करी करने वाले तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाए प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री सत्यसेन यादव, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 07–11–2025 को अभिसूचना संकलन के क्रम में एसटीएफ टीम जनपद वाराणसी में भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि जनपद प्रयागराज व कौशाम्बी से संरक्षित तथा राष्ट्रीय पक्षी की तस्करी करने वाले 04 लोग वाहन संख्या UP70FR0489 से संरक्षित जीवों को प्रयागराज–वाराणसी के रास्ते आसनसोल पष्चिम बंगाल ले जा रहे है। इस सूचना पर निरीक्षक प्रमोद कुमार वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह यादव, मु0आ0 प्रभात कुमार, मु0आ0 नीरज मिश्रा, मु0आ0 विजेन्द्र नाथ राय व मु0आ0 शशांक सिंह की टीम द्वारा वन विभाग वाराणसी एवं वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, गोरखपुर की टीम को साथ लेकर सूचना साझा करते हुए प्रयागराज–वाराणसी राजमार्ग स्थित रखौना चौराहा थाना राजा तालाब जनपद वाराणसी से संरक्षित वन्य जीवों की अवैध तस्करी करने वाले गिरोह के 04 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त वशीम उर्फ अरमान ने पूछताछ में बताया कि नितेश दिवाकर की इनोवा गाड़ी 9,000/– रूपये में किराये पर बुक किया था। उपरोक्त प्रतिबन्धित पक्षी (मोर) कौशाम्बी निवासी पंकज से 500 रूपये में तथा तोता 100 से 200 रूपये में खरीदकर आसनसोल, कोलकाता ले जाते है जहॉ छोटे व्यापारियों को प्रति तोता 400 से 500 रूपये में एवं प्रति मोर को 2500 से 3000 में बेचता है। इसके पहले भी कई बार पंकज से तोता, मोर व अन्य जीवों को खरीदकर ले जा चुका है। इस काम में इसका मुख्य सहयोगी आयूब है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी अन्तर्गत रेंज वाराणसी में रेंज केस नं0 57/2025–26 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यथा संशोधित 1972 की धारा 2/9/11/39/48बी/49बी/50/51 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 यथा संशोधित की धारा 57 मे अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही वन विभाग द्वारा सम्पादित की जा रही है।

ए0एन0टी0एफ0 थाना झांसी द्वारा ए0एन0टी0एफ0 यूनिट आगरा की सूचना पर उडीसा से 172 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा (जिसकी कीमत लगभग 86 लाख रूपये), 12 अदद प्लास्टिक की बोरी में गांजा पैकिंग मैटेरियल व 01 अदद ट्रक बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0 लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक एएनटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में ए0एन0टी0एफ0 यूनिट आगरा की सूचना पर ए0एन0टी0एफ0 थाना झांसी की टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थों की 172 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा (जिसकी कीमत लगभग 86 लाख रूपये), 12 अदद प्लास्टिक की बोरी में गांजा पैकिंग मैटेरियल व 01 अदद ट्रक क्षतिग्रस्त हालत में मय कच्चे नारियल लदे बरामद किया गया । इस सम्बन्ध में थाना तालबेहट जनपद ललितपुर मु0अ0सं0 489/2025 धारा 8/20/60/61 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में पंजीकृत कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान–

दिनांक–07.11.2025 स्थान–महेंद्र सिंह डिग्री कालेज के पास एन0एच0– 44 थाना तालबेहट जनपद ललितपुर ।

बरामदगी का विवरण–

1–172 किलो अवैध गांजा (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 86 लाख रुपये)

2–01 अदद ट्रक

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण–

1. थाना प्रभारी उ0नि0 चन्दन पाण्डेय थाना ए0एन0टी0एफ0 जनपद झांसी ।

2. हेड कान्स0 संजय सिंह राजावत थाना ए0एन0टी0एफ0 जनपद झांसी ।

2. हेड कान्स0 रामनरेश सिंह थाना ए0एन0टी0एफ0 जनपद झांसी।

4. कान्स0 गजेन्द्र सिंह थाना ए0एन0टी0एफ0 जनपद झांसी।

5. कान्स0 विमल कुमार थाना ए0एन0टी0एफ0 जनपद झांसी ।

6. प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज मिश्रा थाना तालबेहट जनपद ललितपुर ।

7. उ.नि. श्री दयाशकंर सिंह थाना तालबेहट जनपद ललितपुर

8. उ.नि. श्री दुर्गा प्रसाद थाना तालबेहट जनपद ललितपुर

9. का0 शुभम तिवारी थाना तालबेहट जनपद ललितपुर

10. का0 रूद्रपाल थाना तालबेहट जनपद ललितपुर

जनपद मथुरा/थाना कोसीकला

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 07.11.2025 को थाना कोसीकला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त सिराज घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोसीकला पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मथुरा के थाना कोसीकला पर हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोसीकला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सिराज निवासी अलीमेव थाना बहीन जनपद पलवल, हरियाणा।

बरामदगी

1–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद कुशीनगर/थाना तमकुहीराज

•25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनॉकः 07.11.2025 को थाना तमकुहीराज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त मतलूब को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कानपुर देहात, उन्नाव व रामपुर के विभिन्न थानों पर सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना तमकुहीराज पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मतलूब निवासी दड़ियाल मुस्तकीम थाना टाडा जनपद रामपुर।

जनपद बरेली/थाना बारादरी

•02 अभियुक्त गिरफ्तार

•लगभग 01 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय) कीमत के 01 किलो 11 ग्राम मार्फिन (कूड)

•02 मोबाइल फोन

•घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद

दिनॉकः 07/08.11.2025 की रात्रि थाना बारादरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–भूपराम 2–प्रमोद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय)

कीमत के 01 किलो 11 ग्राम मार्फिन (क्रूड), 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना बारादरी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—भूपराम निवासी ताजपुर नवदिया थाना भमौरा जनपद बरेली।

2—प्रमोद निवासी ताजपुर नवदिया थाना भमौरा जनपद बरेली।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 01 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय) कीमत के 01 किलो 11 ग्राम मार्फिन (क्रूड)।

2—02 मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–113</u>

• 04 अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी के करीब 10 चार पहिया वाहनों के कटे हुये पार्टस

• घटना में प्रयुक्त 02 कार

• लॉक तोड़ने के उपकरण आदि बरामद

दिनॉकः 07.11.2025 को थाना सेक्टर–113 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सुपरटैक रोमाना तिराहा कट सेक्टर–118 से 04 अभियुक्तों 1—मोनू उर्फ यशवीर 2—जगन 3—इमरान 4—सोहनबीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के करीब 10 चार पहिया वाहनों के कटे हुये पार्टस, घटना में प्रयुक्त 02 कार, लॉक तोड़ने के उपकरण आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मोनू उर्फ यशवीर के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, जनपद बुलन्दशहर व दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–113 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–मोनू उर्फ यशवीर निवासी सरायघासी थाना सिंकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर।

2–जगन निवासी सरायघासी थाना सिंकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर।

3–इमरान निवासी कस्बा जहॉगीरपुर मोहल्ला शाहपुरियान थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।

4–सोहनबीर निवासी राऊपुर थाना पेशावा जनपद अलीगढ़।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के करीब 10 चार पहिया वाहनों के कटे हुये पार्टस।

2–घटना में प्रयुक्त 02 कार।

3–लॉक तोड़ने के उपकरण आदि।

———————